न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक.1115/II/2010 निगरानी

नवलेश शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम रायपुर (कुपरेडा) तह. पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

आवेदक

बनाम

नारायणी पुत्री बालकिशन किरार फौत वारिसान–

1. बच्चू सिंह
2. जगदीश सिंह
3. सुरेश सिंह
4. रामहेत सिंह
5. राजाराम

} पुत्रगण माना किरार

निवासी ग्राम सकतपुर हाल निवास देवरीकलॉ तह. पोहरी जिला शिवपुरी म. प्र.

अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रक. 613/09–10/अपील में पारित आदेश दिनांक 06. 07.2010 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

अपीलान्ट की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :–

1. यह कि, विवादित भूमि ग्राम सकतपुर तह. पोहरी में भूमि सर्वे क. 101 रकवा 0.32 हे. स्थित है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी अनावेदिका नारायणी बाई पुत्री बालकिशन किरार थे। उक्त भूमि को बालकिशन द्वारा एक मंदिर हनुमान जी महाराज का निर्माण

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1115–दो/10 जिला– शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
23–5–.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित होकर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 613–/अपील/09–10 में पारित आदेश दिनांक 6.7.10 के विरुद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक नबलेश पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी कुपरेड़ा द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा बेराड तहसील पोहरी जिला शिवपुरी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुतकिया कि अनावेदिका नारायणी पुत्री बालकिशन किरार निवासी रायपुर के विरुद्ध ग्राम सकतपुरा में स्थित अनावेदिका की खसरा भूमि सर्वे क्रमांक 101 रकबा 0.32 है0 पर राजस्व अभिलेख में कब्जा इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार द्वारा इश्तहार जारी कर आपत्तियां बुलाई गई। अन्दर म्याद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं । अनावेदिका नारायणी के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की, तहसीलदार द्वारा उक्त आपत्ति को खारिज कर कब्जा के आधार अभिलेख में इन्दाज कराने	

के आदेश दिनांक 14.12.2001 को दिये। जिससे परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.6.10 को अपील स्वीकार की । इससे परिवेदित होकर आवेदक नवलेश द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत जो उनके द्वारा दिनांक 6.7.10 को अस्वीकार की गई। इससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3- आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि बालकिशन ने जो आवेदिका के पिता है उनके द्वारा हनुमान जी मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया था जिसमें पूजा से प्रश्न्न होकर उक्त भूमि पूजा के लिये आवेदक के पिता को प्रदाय की गई थी उसी समय से वह उक्त भूमि पर काबिज हैं। काबिज होने के कारण उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम इन्द्राज कराने का निवेदन किया है तथा निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

4- अनावेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं। मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

5- मेरे द्वारा तहसीलदार के प्रकरण का वारीकी से अवलोकन किया । उनके द्वारा न तो प्रकरण

में साक्ष्य लिये गये है और न ही ग्राम पंचायत का पंचनामा लिया गया है मात्र राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट एवं कब्जा के आधार पर ही आवेदक नबलेश के नाम इन्द्राज करने का आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि अनावेदिका नारायणी एक बृद्ध एवं असाय महिला है वह किसी से भी अपनी भूमि पर कृषि कार्य करा सकती है । भू-राजस्व संहिता में कब्जे के आधार पर इन्द्राज कराने का उल्लेख किसी धारा में नहीं है । अतः नायब तहसीलदार द्वारा दिया गया त्रुटि पूर्ण आदेश है इसे स्थिर नहीं रखा जा सकता इससे अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के आदेश से मैं सहमत हूँ । अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ग्वालियर के समवर्ती आदेश होने के कारण इनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने के कारण स्थिर रखे जाते हैं । तथा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

के. सी. जैन
सदस्य